

5/2/26. पत्रा पेश ।

तहसीलदार की रिपोर्ट पर दावा  
वादी की अनुशांसा की गई है।  
सहायतादार की सहमति के आधार  
पर, TDR रिपोर्ट की अनुशांसा व  
फर्द दस्तावेज के आधार पर दावा  
वादी स्वीकार किया जाता है।  
TDR को निर्देशित किया जाता है  
कि वह उचित connection करे -  
गीलाबाई के स्थान पर सीताबाई  
व मोहन के स्थान पर सोहनबाई।  
मिसल शुमार होकर दाखिल  
कराए जायें।

Ch

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी